

न्यायालय, समाहर्ता, -सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया। 77

आदेश-पत्रक

2017 बिहार 2016 130 4.4.2017

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०.....से.....

जिला-खगड़िया....., सा०....., सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
---------------------------------	--	---

01.06.2017 पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1955/सी०आर० दिनांक 26.05.2017 द्वारा बेलदौर, थाना काण्ड संख्या-51/2017 दिनांक 13.03.2017 धारा-30(ए०) बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब- Royal Stag कम्पनी का 1000एम०एल० का 03 (तीन) बोतल विदेशी शराब थाना के मालखाना में रखा हुआ है।

1000 एम०एल० का Royal Stag कम्पनी का 1000एम०एल० का 03(तीन) बोतल कुल-03(तीन) लीटर सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ तालासी सह जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोगरी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया का प्रतिवेदन-2 संलग्न है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मघनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना काण्ड संख्या-51/2017 में जप्त देशी/विदेशी शराब कुल-03(तीन) लीटर को अपने देख रेख में विनष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature at the bottom right and vertical text in Hindi.